

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2535
जिसका उत्तर 4 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।
13 श्रावण, 1943 (शक)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं

2535. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि देश में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख) : सरकार इस बात से अवगत है कि देश में ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंटरनेट की पहुंच अभी बाकी है और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सुविधाओं का उपयोग कम रहता है। हालांकि, भारतनेट और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से दूर-दराज के क्षेत्र में हर असंबद्ध नागरिक को जोड़ने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग के लिए इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध है। 115.4 करोड़ मोबाइल फोन ग्राहक हैं, जिनमें से 63 करोड़ शहरी ग्राहक और 52.4 करोड़ ग्रामीण ग्राहक हैं। कुल इंटरनेट ग्राहक 79.5 करोड़ हैं, जिनमें से शहरी इंटरनेट ग्राहक 48.7 करोड़ और ग्रामीण इंटरनेट ग्राहक 30.8 करोड़ हैं। 3.56 लाख कार्यात्मक सामान्य सेवा केंद्र हैं, जिनमें से 2.71 लाख सीएससी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध हैं।

यह अनुमान है कि देश में 5,97,618 बसे हुए गांवों (2011 की जनगणना के अनुसार) में से कुल 5,72,551 गांवों में मोबाइल वायरलेस कवरेज के साथ इंटरनेट की सुविधा है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के अपने प्रयास में, भारत सरकार देश के सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों में भारतनेट परियोजना को भी लागू कर रही है। 01.07.2021 तक, कुल 1,57,383 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट/ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचे के साथ सेवा के लिए तैयार किया गया है। भारतनेट कार्यक्रम के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी-एसपीवी) को स्कूलों सहित सरकारी संस्थानों को फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्टिविटी प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

इसके अलावा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर), वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई), सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बढ़ाने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन फंड (यूसओएफ) के तहत विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान आकांक्षी जिले और द्वीप समूह।

महामारी के समय में, डिजिटल सेवाओं, उमंग और अन्य मोबाइल ऐप के माध्यम से मोबाइल सक्षम सेवाओं और सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से सहायक सार्वजनिक सेवा वितरण पर विशेष जोर दिया गया था। देश भर में छात्रों को पढ़ाने के लिए डायरेक्ट टू होम और मुफ्त शैक्षिक टीवी चैनलों का भी उपयोग किया गया है। कक्षा I से कक्षा XII तक एक-एक समर्पित शैक्षिक टीवी चैनल है। उच्च शिक्षा के लिए समर्पित चैनल हैं। उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों जैसे आईआईटी, एनपीटीईएल, यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी और एनआईओएस द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख डिजिटल पहल कदम **अनुबंध** में संलग्न हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की पहल

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एमईआईटीवाई द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी शामिल हैं। एमईआईटीवाई की कुछ प्रमुख पहलें नीचे सूचीबद्ध हैं:

i) जन कार्यक्रम के लिए आईटी :

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित गतिविधियों को प्रदान करके आईटी क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए फोकस समूहों (महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वरिष्ठ नागरिक, अलग-अलग विकलांग और आर्थिक कमजोर वर्ग) और कम-विशेषाधिकार प्राप्त क्षेत्रों के लिए आईसीटी में गतिविधियों को शुरू करना / बढ़ावा देना है। निर्माण, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षण, आईटी उपकरणों की तैनाती, क्लस्टर विकास, क्षमता निर्माण और उद्यमी निर्माण। उक्त कार्यक्रम के तहत 60 आकांक्षी जिलों के 4320 आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लाभ के लिए "आईसीटी के क्षेत्र में आकांक्षी जिले में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ईडब्ल्यूएस युवाओं के कौशल विकास के कारण रोजगार में वृद्धि" नामक एक परियोजना लागू की जा रही है।

ii) स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना: यह योजना आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम क्षेत्रों में नए उत्पादों के नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए 3000 पीएचडी (1000 पूर्णकालिक और 2000 अंशकालिक) के लिए सहायता प्रदान करती है।

iii) आला क्षेत्र

क) **फ्यूचर स्किल्स 'प्राइम'** : आईटी/आईटीईएस सेक्टर स्किल्स काउंसिल-नैस्कॉम के सहयोग से एमईआईटीवाई ने फ्यूचरस्किल्स प्राइम (रोजगार के लिए आईटी मैनुअल के पुनः कौशल/अप-स्किलिंग के लिए कार्यक्रम) नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। फ्यूचरस्किल्स प्राइम 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में ऑनलाइन मोड में राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न ऑनलाइन कौशल प्रदाताओं से युक्त एक 'एग्रीगेटर्स का एग्रीगेटर' प्लेटफॉर्म है।

ख) **सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) परियोजना चरण- II** : इस परियोजना का उद्देश्य सूचना सुरक्षा में क्षमता निर्माण, सरकारी कर्मियों का प्रशिक्षण और जन सूचना सुरक्षा जागरूकता का निर्माण करना है।

ग) **वीएलएसआई और चिप डिजाइन के लिए विशेष जनशक्ति विकास कार्यक्रम (एसएमडीपी)** : परियोजना का उद्देश्य वीएलएसआई डिजाइन के क्षेत्र में विशेष जनशक्ति को प्रशिक्षित करना और स्नातक, परास्नातक और पर सिस्टम-ऑन-चिप/सिस्टम स्तर डिजाइन की संस्कृति को विकसित करना है। आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी, आईआईआईटी और अन्य संस्थानों सहित देश भर में फैले 60 शैक्षणिक/अनुसंधान और विकास संस्थानों में अनुसंधान स्तर।

iv) व्यावसायिक, कौशल विकास स्तर: ईएसडीएम क्षेत्र में कौशल विकास पर दो योजनाएं

ईएसडीएम क्षेत्र में कौशल विकास: सरकार ने ईएसडीएम क्षेत्र में कौशल विकास के लिए दो योजनाओं को मंजूरी दी है। (i) "इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में कौशल विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का चयन करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए योजना" (स्कीम -1) और (ii) "डिजिटल इंडिया के लिए ईएसडीएम में कौशल विकास" (स्कीम -2) पूरे देश में ईएसडीएम क्षेत्र के विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की सुविधा प्रदान करना। योजना के लक्षित लाभार्थियों में 8वीं/10वीं पास, आईटीआई धारक, पॉलिटेक्निक, स्नातक, स्नातक (इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग) उम्मीदवार शामिल हैं। कौशल और प्रमाणन के लिए वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए 75% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 100% है। दोनों योजनाओं के तहत अब तक कुल 3,97,903 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है, जिनमें से 3,95,622 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, और 2,62,856 उम्मीदवारों ने प्रमाणित किया है।

v) जमीनी स्तर: देश में डिजिटल साक्षरता को जन-जन तक पहुंचाने की योजना

प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडिशा): सरकार ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कवर करके ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता की शुरुआत करने के लिए "प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडिशा)" नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। पीएमजीडिशा के तहत अब तक कुल 4.99 करोड़ उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है और 4.20 करोड़ को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 3.11 करोड़ उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है।

vi) नाइलिट (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) के परिसर की स्थापना

नाइलिट के सुदृढीकरण के माध्यम से वंचित क्षेत्रों में कौशल विकास सुविधाओं का निर्माण: परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 18 नाइलिट केंद्रों/विस्तार केंद्रों का उन्नयन और नई स्थापना करना है। परियोजना के तहत कुल 18 नाइलिट केन्द्रों/विस्तार केन्द्रों की स्थापना/प्रचालन किया गया है और इसके अतिरिक्त, कोहिमा और अगरतला में दो और नाइलिट केंद्र (परिसर सुविधाओं के साथ) पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। नाइलिट के अपने संसाधनों से असम के मौजूली में एक और केंद्र स्थापित किया गया है। अब तक सभी 21 केंद्र सभी 8 एनईआर राज्यों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। अब तक लगभग 1.78 लाख उम्मीदवारों को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अलावा, कारगिल, दमन, दीमापुर आदि में नए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

vii) ई-अधिगम उपकरण

क) एनईआर मेडिकल कॉलेजों के लिए चिकित्सा विज्ञान शिक्षा में पाठ्यक्रमों की प्रौद्योगिकी मध्यस्थता वितरण: परियोजना का उद्देश्य वर्चुअल शिक्षण द्वारा प्रौद्योगिकी मध्यस्थता शिक्षा के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा और निरंतर कक्षाएं प्रदान करने में मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के मेडिकल कॉलेजों की सहायता और पूरक है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। परियोजना के तहत अब तक विभिन्न एनईआर मेडिकल कॉलेजों के 1270 छात्रों को आभासी शिक्षण सहायता प्रदान की गई है।

ख) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में बुद्धिमान शैक्षिक बुनियादी ढांचे (स्मार्ट) की स्थापना: इसका उद्देश्य इंटरनेट के साथ नवीनतम उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके इको सिस्टम बनाकर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में बुद्धिमान शैक्षिक बुनियादी ढांचे (स्मार्ट) की स्थापना करना है। कनेक्टिविटी, जो स्कूली बच्चों के सीखने के परिणाम को बेहतर बनाने में मदद करती है।

ग) स्कूलों के लिए ऑनलाइन लैब्स (ओलैब्स) का रोलआउट: एमईआईटीवाई ने "स्कूलों के लिए ऑनलाइन लैब्स (ओलैब्स) का रोलआउट" नामक परियोजना को वित्त पोषित किया है, जिसका उद्देश्य भारत भर के छात्रों और शिक्षकों द्वारा ओलैब्स को सुलभ और प्रयोग करने योग्य बनाने के लिए ढांचागत और समर्थन ढांचा तैयार करना है। ऑनलाइन लैब्स (ओलैब्स) www.olabs.edu.in पर सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध है। ओलैब्स ऑफलाइन, ओलैब्स लाइव बूट करने योग्य डीवीडी और ओलैब्स के लिए परियोजना के तहत, अब तक 35349 सीबीएसई शिक्षकों को 9404 सीबीएसई स्कूलों से और 4,997 राज्य बोर्ड के शिक्षकों को 1654 राज्य बोर्ड स्कूलों से प्रशिक्षित किया गया है और 15 लाख से अधिक छात्र ओलैब्स परियोजना से लाभान्वित हुए हैं।

viii) नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल: यह वन-स्टॉप सॉल्यूशन है जिसके माध्यम से छात्र आवेदन, आवेदन रसीद, प्रसंस्करण, मंजूरी और छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति के वितरण से शुरू होने वाली विभिन्न सेवाएं सक्षम हैं।

ix) सामान्य सेवा केंद्र: सीएससी ग्रामीण भारत में फ्रंट-फेस ई-सर्विस डिलीवरी सेंटर हैं। उनकी सेवाओं में शैक्षिक सेवाएं शामिल हैं।

- कार्यात्मक सीएससी की संख्या: अप्रैल 2021 तक 3.56 लाख
- ग्राम पंचायतों में कार्यात्मक सीएससी की संख्या: अप्रैल 2021 तक 2.71 लाख
- ई-सेवाओं की संख्या: 350+

x) डिजिलॉकर: यह भारत सरकार की कागज रहित पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों के सार्वजनिक दस्तावेज उनके व्यक्तिगत डिजिटल लॉकर में उपलब्ध कराना है। इसे नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स अधिसूचित किया गया है।

- 429+ करोड़ जारी किए गए दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए गए हैं।

xi) एमईआईटीवाई की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) परियोजना के तहत, 5.5 लाख पुस्तकों का डिजिटलीकरण किया गया है और पोर्टल www.ndl.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है।

xii) एमईआईटीवाई का राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क 1746 संस्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है जिसमें दोनों सरकारी संगठन और अनुसंधान और शिक्षा संस्थान और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (एनएमईआईसीटी) के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं।

xiii) ई.आर.नेट इंडिया पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह के दूर-दराज के क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों/स्कूलों को उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सुविधा प्रदान करता रहा है। लक्षद्वीप के 09 द्वीपों में उपग्रह पर हाई स्पीड लिंक स्थापित करना और लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित सरकारी स्कूलों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना।

xiv) ई.आर.नेट इंडिया (ईआई) ने भारत के सात राज्यों के 3204 स्कूलों और 50 डायट में प्रोजेक्ट "स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम" लागू किया है, जिसने वर्चुअल कक्षाओं का संचालन करके छात्रों और शिक्षकों को अत्यधिक लाभान्वित किया है।

xv) ईआरनेट इंडिया ने सिक्किम और असम के 75 स्कूलों और 4 डाइट में स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम स्थापित करके टेली-एजुकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए "टेली-एजुकेशन प्रोजेक्ट- एनईआर के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना" नामक परियोजना को लागू किया है।

xvi) ईआरनेट इंडिया ने 50 मेडिकल कॉलेजों में नेशनल मेडिकल कॉलेज नेटवर्क की स्थापना की है।

xvii) ईआरनेट ने इलाहाबाद, पुणे, उस्मानिया, एनईएचयू और उत्कल विश्वविद्यालय जैसे 5 विश्वविद्यालयों में वाई-फाई सक्षम परिसर नेटवर्क स्थापित किया है।

शिक्षा मंत्रालय की पहल

i. केंद्र सरकार शिक्षा पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए हस्तक्षेप के संबंध में दिशा-निर्देशों और बैठक के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगातार सलाह दे रही है। अब तक जारी दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

- डिजिटल शिक्षा पर प्रतियोगिता दिशानिर्देश: https://mhrd.gov.in/sites/uploadfiles/mhrd/files/pragyata-guidelines_0.pdf
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए ई-सामग्री के विकास के लिए दिशानिर्देश।

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/CWSN_E-Content_guidelines.pdf

ii. इन सबके अलावा, 17 मई, 2020 को आत्म निर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है, जो शिक्षा के लिए मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न डिजिटल पहल भी की जाती हैं। स्वयं ("युवा आकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय-लर्निंग का अध्ययन वेब"), स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल), वर्चुअल लैब, ई-यंत्र, एनईएटी (प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा गठबंधन), फौसी (फ्री ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) शिक्षा) आदि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए। पहल का विवरण निम्नानुसार है :

क. दीक्षा (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म): यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा है और सभी ग्रेड के लिए क्यूआर कोडेड एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकें इस पर उपलब्ध हैं। यह शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को निर्धारित स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक आकर्षक शिक्षण सामग्री प्रदान करता है।

- दीक्षा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनआईओएस और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सीखने की सामग्री उपलब्ध है।
- सीखने के सत्रों की सुविधा: 327.32 करोड़
- दीक्षा का उपयोग (समय में): 66.36 करोड़ घंटे

ख. स्वयं : यह एक विशाल ऑनलाइन ओपन कोर्स (एमओओसी) प्लेटफॉर्म है। पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। यह वेब पर और मोबाइल एप के जरिए उपलब्ध है।

- 203 भागीदार संस्थाएं
- 4024 पूर्ण पाठ्यक्रम
- 1.84 करोड़ छात्र नामांकित

ग. स्वयं प्रभा: यह डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो जीसैट -15 उपग्रह का उपयोग करके 24X7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। हर दिन, कम से कम (4) घंटे के लिए नई सामग्री जो एक दिन में 5 बार दोहराई जाती है, जिससे छात्रों को अपनी सुविधा का समय चुनने की अनुमति मिलती है। चैनल बिसाग-एन, गांधीनगर से अपलिक किए गए हैं।

- सामग्री एनपीटीईएल, आईआईटी, यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी और एनआईओएस द्वारा प्रदान की जाती है।
- शिक्षा के लिए कुल डीटीएच चैनल: 34
- चैनल की लागत: मुफ्त
- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पोडकास्ट- शिक्षा वाणी का व्यापक उपयोग।
- एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब पर डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (डेज़ी) और सांकेतिक भाषा में विकसित दृष्टिबाधित और श्रवण बाधितों के लिए विशेष ई-कॉन्टेंट।

ये सभी योजनाएं/कार्यक्रम देश भर के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध हैं।

iii. ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यूजीसी ने आवश्यक विनियमन अधिसूचित किया है, जो विश्वविद्यालयों को पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम की पेशकश करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, यूजीसी स्वयं और ओडीएल विनियमों के प्रावधानों के अनुसार एक कार्यक्रम में 20 प्रतिशत ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के मौजूदा प्रावधानों को "कोविड -19 के दौरान राष्ट्रीय हित" को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन के लिए अधिकतम 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना और ई-संसाधनों के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना भी है।
